फर्द अहकाम
(नियम 15)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम रामगढ़

रामचरन बनाम विजयसिंह

किस्म मुकदमा दावा नं. 121/14 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
23/5/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अपील अधिनियम के तहत आपके द्वारा लेख सिंहावलि काल पर पेश हुई। पक्षकार हाजिर, अनुपस्थित की गयी। सभी बरवास कराने पर सहमत है। बखरी दावा द्वारा लेख पर ही बरवास हेतु फैसला तैयार कर प्रस्तुत किये। जिन पर किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। अतः इस दावा मुताबिक फैसला प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।	जब्त लोक अदालत अधि... न्याय आपके द्वार-2018
	अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक फैसला प्रस्ताव इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी ख.न. 1379/1 रकबा 02 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन, रामचरन पुत्र बिजयसिंह जाति जाटव सा. श्रीनगर के हिस्से में रहेगी तथा आ.ख.न 1379/2 रकबा 02 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन प्रतिवादी विजयसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति जाटव सा. रोता तहसील आगरा के हिस्से में रहेगी मौके पर कब्जा बन्द है उसकाई तथा खेती के बाद हल रखा है इसलिए कब्जा की जमीन को बांटा गया है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी के पृथक पृथक खाते कायम किये जावें। पत्रावली डिक्री सिद्धान्तानुसार स्थाय पेश होने पर पत्रावली कोमल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया	